प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.10.2024

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.08.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी जहीर पुत्र श्री अजीज निवासी छितरा बस्ती मौहल्ला पठानान थाना मुरादनगर गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र शादाब उम्र 30 वर्ष की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 26.09.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आया अभियुक्त बाबू पुत्र शौकत अली निवासी छितरा बस्ती पठानान मौहल्ला थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 51 वर्ष को जलालपुर गाँव नाले के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

दिनांक 30.10.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फूटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इनपुट व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त शहाजादा पुत्र शौकत अली निवासी छितरा बस्ती पठानान मौहल्ला थाना मुरादनगर गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर गंगनहर मैंन रोड से गिरफ्तार किया गया अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त शहजादा ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने, मेरे भाई बाबू व रिश्तेदार ने मिलकर शादाब को मार दिया था क्योंकि शादाब ने अपनी अम्मी शकीला के मकान के कागज मेरे भाई बाबू की जमानत में लगाए थे क्योंकि बाबू के ऊपर थाना मुरादनगर पर वर्ष 2013 का दुष्कर्म का केस था। शादाब 14 लाख रुपये का लोन ले रहा था परन्तु उसके मकान के कागज बाबू की जमानत में लगे थे इसीलिए शादाब का लोन होने में दिक्कत हो रही थी इसलिए शादाब मेरे भाई बाबू की जमानत तुड़वाने के पीछे ही पड गया था। शादाब ने एक दिन हमको बहुत गाली दी हम लोगों ने उसी दिन सोच लिया था कि इसको जान से मारना है। दिनांक 31.07.2024 को दोपहर करीब 02.00 बजे के आसपास शिवमंगल के प्लाट में मेरा भाई बाबू पहले से ही मौजूद था तथा मैंने शादाब को बुलाया तथा मैंने, बाबू तथा मेरे रिश्तेदार ने मिलकर शादाब के गले में प्लास्टिक की टावर वाली टाई लगाकर मार दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

शहजादा पुत्र शौकत अली निवासी छितरा बस्ती पठानान मौ0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मुरादनगर पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.10.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत

धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता पीडिता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस द्वारा अपहर्ता पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा पीडिता का उक्त मुकदमे में मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180 BNSS की कार्यवाही की गयी। धारा 180 BNSS के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 64 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 31.10.2024 को थाना लोनी पुलिस द्वारा लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सौरभ उर्फ छोटू पुत्र महेन्द्र निवासी दरगाहपुर थाना जिझियाना जनपद शामली उम्र करीब 22 वर्ष को लोनी कस्बा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण –</u>

अभियुक्त नें पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी अपने पडोस की रहने वाली नाबालिग पीडिता से दोस्ती थी जिसे मैं दिनांक 17.10.2024 को अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

सौरभ उर्फ छोटू पुत्र महेन्द्र निवासी दरगाहपुर थाना जिझियाना जनपद शामली, उम्र करीब 22 वर्ष ।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -</u>

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना लोनी पुलिस टीम।